सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 25, सोमवार, शाके 1943-फरवरी 14, 2022
Magha 25, Monday , Saka 1943- February 14, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 27, 2022

संख्या 2(15) वन/ 2021 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारो की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आंशका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हे लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रंक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे

किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी. प्रवीण,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची							
क्र.स.	**नाम वन खण्ड**	**नाम तहसील /रेंज**	**नाम जिला**	**सीमा**	**विवरण**		
					नाम ग्राम	**खसरा नं.**	**क्षैत्रफल (बीघा बिस्वा)**
1	नचनाखेडा	शाहबाद	बांरा	उत्तर–राजस्व भूमि पूर्व – वन भूमि दक्षिण – वन भूमि पश्चिम – राजस्व भूमि	नचनाखेडा	196	40.18
						197	1.19
						198	13.10
						200/1	2.17
						201	32.10
						209	4.07
						210	25.00
						211	43.11
						योग	**164.12 (26.329 है0)**

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सर्वेयर कार्यालय हाजा उप वन संरक्षक, बारां	क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहबाद	(वी.चेतन कुमार) उप वन संरक्षक बारां

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

क्र.स.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula, Wall	धौकडा, धौ, फलधी, धोक,
2	Acacia catechu Willd	खैर
3	Balanites roxburghi, Roxb	हीगोट
4	Butea mono sperma, Koenig	फलास, खाखरा, छोला
5	Emblica officinalis	आवंला
6	Cassis, Fistula Linn	अमलतास
7	Diospyros melanoxylon, Rech	तेन्दू टेमरू,
8	Madhuca latifolia, Roxb	महुआ
9	Tectona grandis, Linn	सगवान
10	Termincalia arjuna, Bedd	अर्जुन, कोहडा
11	Moringa oleifera	सेजना
12	Holoptelea integrifolia, Planch	चुरेल, कुंज, कांज

हस्ताक्षर

सर्वेयर
कार्यालय हाजा
उप वन संरक्षक, बारां

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहाबाद

हस्ताक्षर

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रमाण पत्र

जिला – बारां

तहसील – **शाहबाद**

रेंज – शाहबाद

वनखण्ड – नचनाखेडा

ग्राम – नचनाखेडा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिस विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्य कराये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.1 से 0.4 है।
4. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी-नाले है तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। जिसमें खसरा नं. व प्रस्तावित वनखण्ड की सीमा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनखण्ड के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीये गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड नौनेरा परियोजना (E.R.C.P.) में प्रयुक्त हुई वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि पर प्रस्तावित है। जिसका अमलदरामद करा लिया गया है।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि का प्रकाशन पूर्व में राजपत्र में नही हुआ है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सर्वेयर कार्यालय हाजा उप वन संरक्षक, बारां	क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहबाद	(वी.चेतन कुमार) उप वन संरक्षक बारां

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।